न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 10/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया, शाखा– रामगढ़, पोस्ट रामगढ़ शेखावाटी, जिला–सीकर–331024
प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मै. सुनिधि फैंसी स्टोर, नटवरजी मन्दिर के पास, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर –331024
अप्रार्थी / ऋणी
2. प्रो. सुनिल सैनी पुत्र श्याम लाल सैनी, वार्ड नं. 25, गोगामेड़ी के पास, रामगढ़ शेखावाटी
अप्रार्थी / ऋणी
3. ज्याना देवी पत्नी श्याम लाल सैनी, वार्ड नं. 25, गोगामेड़ी के पास, रामगढ़ शेखावाटी
जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण मै. सुनिधि फैंसी स्टोर, प्रो. सुनिल सैनी, ज्याना देवी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **Equitable mortgage of Ward No. 25, Near Gogameri Ramgarh Shekhawati, Total Area 119.88 Sq. Mtrs in the name of Jyan Devi w/o Shyam Lal Saini Bounded of North by Plot Ramchandra, South by House of Govind Ram Panna, East by House of Jyana Devi, West by Rasta.** को बंधक रखकर 10,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.07.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि किश्तों में राशि भुगतान हेतु 3 माह समय दिया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त दुकान अब अस्तित्व में नहीं है। दुकान बंद कर दी गई है। किसी प्रकार का कोई माल नहीं है। पूरी राशि बकाया है। कुल एरियर की राशि 10,15000/– है। कभी –कभी कुछ छोटी–छोटी राशि जमा की गई है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 07.07.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण मै. सुनिधि फैंसी स्टोर, प्रो. सुनिल सैनी, ज्याना देवी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **Equitable mortgage of Ward No. 25, Near Gogameri Ramgarh Shekhawati, Total Area 119.88 Sq. Mtrs in the name of Jyan Devi w/o Shyam Lal Saini Bounded of North by Plot Ramchandra, South by House of Govind Ram Panna, East by House of Jyana Devi, West by Rasta.** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner